UPBN010067702017

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आव० वस्तु अधि०), बदायूँ।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–3320/2022

मन्नुलाल बनाम राज्य

विशेष सत्र वाद संख्या–915/2017

मु०अ०सं०–198/2017

धारा–138 बी विद्युत अधिनियम, 2003

थाना–अलापुर, जनपद बदायूँ।

दिनॉकः11–10–2022

प्रार्थी/अभियुक्त **मन्नुलाल पुत्र इतवारीलाल** निवासी ग्राम कूपरी थाना अलापुर जिला बदायूँ की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र विशेष सत्र वाद संख्या–915/2017, मु०अ०सं०–198/2017 धारा–138 बी विद्युत अधिनियम थाना अलापुर, जनपद बदायूँ के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त इस प्रकरण में आत्म समर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्युत विभाग की ओर से विद्वान लोक अभियोजक के तर्क सुने तथा प्रप़त्रों का अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि वह पूर्व में विच्छेदित किये गये अपने नाम के संयोजन को जोड़कर अवैध रूप से अपने मकान में विद्युत का प्रयोग कर रहा था।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी झूंठा पार्टीबन्दी के कारण फंसाया गया है। घटना का स्वतंत्र साक्षी नही है। प्रार्थी समय–समय पर बिल जमा करता रहा है। प्रार्थी खेती में नुकसान हो जाने के कारण बिजली का बिल जमा नही कर सका था। प्रार्थी एक वृद्ध व बीमार व्यक्ति है तथा 70 वर्ष उम्र का है। प्रार्थी पूर्व सजायाफ्त नही है। प्रार्थी ने अपना सम्पूर्ण बकाया बिल जमा कर दिया है, रसीद संलग्न पत्रावली है। प्रार्थी अपनी उचित जमानत देने के लिए तैयार है। प्रार्थी के भागने अथाव सबूत तोड़ने का कोई अंदेशा नही है। उक्त आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की है।

लोक अभियोजक विजली विभाग द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि मुकदमा पंजीकृत होने के बाद अपने नाम के कनैक्शन के बकाया विद्युत बिल को जमा कर दिया है। बिल एवं रसीदों की छाया प्रतियाँ संलग्न है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने के पर्याप्त आधार है।

तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त **मन्नुलाल पुत्र इतवारीलाल** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को उसके द्वारा अंकन **बीस हजार रूपये** का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा इतनी ही धनराशि की दो सक्षम व विश्वसनीय जमानतें दाखिल करने पर उसे, इस प्रकरण के अन्तर्गत जमानत पर छोड़ा जावे।

(अखिलेश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधि०),
बदायूँ।

Digitally signed by AKHILESH KUMAR
Date: 2022.10.11 14:39:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court